



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19042023-245265
CG-RJ-E-19042023-245265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1703]

No. 1703]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 18 अप्रैल, 2023

का.आ. 1783(आ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित करती है

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	खाटुवास-नारनौल ब्रोडगेज दोहरीकरण परियोजना (24.12 किमी.)	हरियाणा एवं राजस्थान

[सं. NWR/HQ/S&C/443599200Vol-2]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAY**[North Western Railway (Construction)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 18th April, 2023

S.O. 1783(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37 A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following projects as special railway project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

TABLE**Special Railway Project**

Sl. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Khatuwas-Narnaul BG Doubling project (24.12KM)	Haryana& Rajasthan

[No. NWR/HQ/S&C/443599200Vol-2]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Cons.)